न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 912–दो/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–3–2014 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राधौगढ़ के प्रकरण कमांक 8/अपील/2013–14.

.....

1–गायत्री पुत्री कन्हैयालाल पत्नी परमाल सिंह मीना
निवासी ग्राम नलखेडा तहसील चाचोंडा जिला गुना
2–गीताबाई पुत्री कन्हैयालाल पत्नी हरस्वरूप मीना
निवासी ग्राम उगोविन्दपुरा तहसील राधौगढ जिला गुना .....आवेदकगण

विरूद्ध

1–मनजीत पुत्र नारायण सिंह मीना
निवासी ग्राम डोंगर
2–सचिन पुत्र मोहन सिंह मीना अल्पव्यस्क
3–अभिनन्दन पुत्र मोहन सिंह अवयस्क द्वारा संरक्षक
श्रीमती विनिताबाई पत्नी मोहन सिंह मीना
निवासीग्राम डोंगर तहसील राधौगढ़ जिला गुना
4–पटवारी हल्का नं. 26 ग्राम हुसैनपुर तहसील राधौगढ
जिला गुना
5–ओमवती बाई पुत्री कन्हैयालाल पत्नी ओमप्रकाश मीना
निवासी ग्राम महेशपुरा तहसील चाचौडा जिला ..... अनावेदकगण

.....

श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री एस0पी0धाकड़, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 1, 2 व 3
श्री एच.के.अग्रवाल, पेनल अभिभाषक–अनावेदक कमांक 4 शासन

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 4/9/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी राघौगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–3–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा तहसील न्यायालय की नामान्तरण पंजी कमांक 17 पर नायब तहसीलदार राधौगढ द्वारा पारित

आदेश दिनांक 20–12–13 से परिवेदित होकर अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर संहिता की धारा 52 के तहत उक्त अपीलाधीन आदेश का कियान्वयन रोके जाने का निवेदन किया । जिस पर उभयपक्षों की विधिवत् सुनवाई कर स्थगन आदेश पारित किया गया व पारित आदेश दिनांक 10–3–14 से जारी स्थगन बढाया गया है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–3–14 से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया कि प्रकरण में विवादित भूमि के अभिलिखित भूमिस्वामी आवेदकगण के पिता कन्हैयालाल थे एवं उनकी मृत्यु के पश्चात् आवेदकगण जो कि कन्हैयालाल के प्राकृतिक उत्तराधिकारी है, का नामान्तरण नियमानुसार कार्यवाही के पश्चात् तहसील न्यायालय द्वारा किया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 1, 2 व 3 के हित में आवेदकगण के पिता द्वारा कभी कोई *वसीयतनामा निष्पादित नहीं किया गया है । आवेदकगण के नामान्तरण आदेश के* विरूद्ध इन अनावेदकगण को अपील करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वह **नामान्तरण की कार्यवाही में पक्षकार नहीं थे । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक कमांक 1 ने अपील ज्ञापन के साथ अपील की** अनुमति हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया था । आवेदकगण द्वारा इस बिन्दु पर आपत्ति किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी ने आपत्ति पर कोई निर्णय नहीं दिया एवं अनावेदकों से तत्काल आवेदन लेकर विवादित आदेश पारित कर दिया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । नामान्तरण की कार्यवाही स्वत्व के आधार पर होती है न कि कब्जे के आधार पर । नामान्तरण की कार्यवाही में महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न यह होता है कि क्या दावेदार को विवादित सम्पत्ति पर विधि के प्रावधानों के अनुसार स्वत्व प्राप्त है अथवा नहीं । मात्र कब्जे के आधार पर राजस्व न्यायालयों को किसी व्यक्ति को स्वत्व प्रदान करने का विधि द्वारा अधिकार प्रदान नहीं किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर विचार किये बिना जो आदेश पारित किया है वह अवैध होकर निरस्त किये जाने योग्य है । अंत में

तर्क प्रस्तुत किया कि निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का विवादित आदेश व की जा रही कार्यवाही को निरस्त किया जाये ।

4/ अनावेदक कमांक 1, 2 व 3 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में यही कहा कि अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय द्वारा प्रकरण में की जा रही कार्यवाही विधिवत् होने से स्थिर रखी जाकर निगरानी खारिज की जाये ।

5/ अनावेदक कमांक 4 शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में अभी अंतरिम आदेश पारित किया है तथा अंतिम आदेश पारित किया जाना है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही उचित है जिसे स्थिर रखा जाकर निरगानी खारिज की जाये ।

6/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 10–3–2014 को अंतरिम आदेश पारित कर पूर्व में दिये गये स्थगन को बढ़ाया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा मुख्यतः गुणदोष पर तर्क प्रस्तुत किये गये हैं, जो इस स्तर पर विचारणीय नहीं है, क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी को गुणदोष पर प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जाना है, जहां आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर प्राप्त है । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी राघौगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–3–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

8/ यह आदेश निगरानी प्रकरण कमांक 913–दो/14 पर भी लागू होगा, अतः इस आदेश की एक प्रति उक्त प्रकरण में संलग्न की जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर